

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 48-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 11, 2025 (PHALGUNA 20, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 11 मार्च, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप—धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए०आर०, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 में निम्नलिखत संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए0आर0, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 में, अनुसूची में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के नीचे, क्रम संख्या 51 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
′′52	नगर तथा	हरियाणा	प्रतिदाय आवेदन	07 दिन	सम्बन्धित	क्षेत्रीय	प्रशासक
	ग्राम	शहरी विकास	(i) सभी स्थानान्तरण अनुमतियों के लिए			प्रशासक	(मुख्यालय)"
	आयोजना	प्राधिकरण	प्रशासनिक फीस		अधिकारी		
	विभाग		(ii) मलबा फीस				
			(iii) दो बार भुगतान/अधिक भुगतान/				
			(किस्तों, विस्तार फीस /				
			प्रशमनीय फीस/राशि के कम होने				
			के मामले में विद्ध की दशा में)				
			(iv) कम हुए क्षेत्र की दशा में छूट				

अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 11th March, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 03rd December, 2021, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 03rd December, 2021, in the Schedule, under column No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, after serial number 51 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

ANURAG RASTOGI, Chief Secretary to Government Haryana.

11713—C.S.—H.G.P., Pkl.